

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक : एफ/प्रशा0/स्था0/2025/9980

दिनांक ...06/08/25

// कार्यालयीन आदेश //

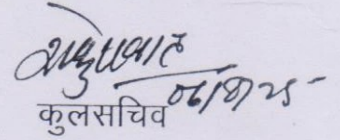
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 887/2009 में पारित निर्णय दिनांक 08.05.2009 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम 2009 के परिपालन में उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने के लिये एक विश्वविद्यालय स्तरीय समिति का गठन माननीय कुलगुरु जी के निर्देशानुसार किया जाता है।

जिसके सदस्य निम्नानुसार हैं :-

- | | |
|---|----------|
| 1. प्रो० जे०एन० गौतम, छात्र कल्याण अधिष्ठाता | — संयोजक |
| 2. प्रो० शांतिदेव सिसौदिया, अधिष्ठाता महाविद्यालय, विकास परिषद् | — सदस्य |
| 3. प्रो० मुकुल तैलग, प्राध्यापक, फार्मैसी अध्ययनशाला | — सदस्य |
| 4. डॉ० जी०के० शर्मा, सहायक प्राध्यापक, विधि संस्थान | — सदस्य |
| 5. कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय | — सदस्य |

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेशानुसार

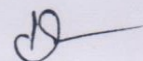

कुलसचिव

प्रति,

समिति के संयोजक एवं समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक, अध्ययनशालाएँ, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. सुरक्षा प्रभारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलगुरु के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. उक्त आदेश आई०टी० सेल प्रभारी की ओर इस आशय के साथ प्रेषित है कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।


सहा/उप-कुलसचिव (प्रशासन)